

Seventeenth Loksabha

pan>

15.57hrs**Title: Introduction and Passing of Appropriation (NO. 5) Bill, 2022.**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 21, माननीय वित्त मंत्री जी ।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2022-2023.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 22, माननीय वित्त मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2022-2023, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

... (व्यवधान)